



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-26092026-276534
CG-AP-E-26092026-276534

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4893]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 4893]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण तट रेलवे)

(सड़क सुरक्षा परियोजना)

अधिसूचना

विशाखापत्तनम, 15 सितम्बर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना

का.आ. 5084(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989(24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “विशाखापत्तनम डिविजन (पहले खुर्दा रोड डिविजन) की हावड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर इच्छापुरम (IPM) – जाडूपुडी (JPI) स्टेशनों के बीच किमी 636/5-7 पर स्थित मैन-युक्त एल.सी संख्या 336 को बंद करके उसके स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण।” इसके द्वारा एसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा(1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/पलासा को “विशाखापत्तनम डिविजन (पहले खुर्दा रोड डिविजन) की हावड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर इच्छापुरम (IPM) – जाडूपुडी (JPI) स्टेशनों के बीच किमी 636/5-7 पर स्थित मैन-युक्त एल.सी संख्या 336 को बंद करके उसके स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण।” के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “विशाखापत्तनम डिविजन (पहले खुर्दा रोड डिविजन) की हावड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर इच्छापुरम (IPM) – जाडूपुडी (JPI) स्टेशनों के बीच किमी 636/5-7 पर स्थित मैन-युक्त एल.सी संख्या 336 को बंद करके उसके स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण।” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक-1) यहां संलग्न है।

(अनुलग्नक1)

जिले और राज्य का नाम: श्रीकाकुलम और आंध्र प्रदेश

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वे/उप-विभाजन संख्या	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल	भूमि का वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
1	सिलागाम	29-7P	0.54	0.17	गीला	पट्टा भूमि
2	सिलागाम	29-5P	0.1	0.1	गीला	पट्टा भूमि
3	सिलागाम	29-6P	0.13	0.1	गीला	पट्टा भूमि
4	सिलागाम	29-3P	0.08	0.05	गीला	पट्टा भूमि
5	सिलागाम	30-2P	4.22	0.64	सरकारी	चेरुवु
6	सिलागाम	31-6P	0.38	0.18	गीला	पट्टा भूमि
7	सिलागाम	31-	0.12	0.02	गीला	पट्टा भूमि
8	सिलागाम	31-5P	0.03	0.01	सूखा	पट्टा भूमि
9	सिलागाम	31-7P	0.42	0.1	सूखा	पट्टा भूमि
10	सिलागाम	31-8P	0.7	0.36	सूखा	पट्टा भूमि
11	सिलागाम	31-10P	0.23	0.15	गीला	पट्टा भूमि
12	सिलागाम	31-9P	0.2	0.07	सूखा	पट्टा भूमि

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वे/उप-विभाजन संख्या	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल	भूमि का वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
13	सिलागाम	31-11P	0.09	0.03	गीला	पट्टा भूमि
14	सिलागाम	31-12	0.03	0.03	गीला	पट्टा भूमि
15	सिलागाम	31-19P	0.24	0.02	सूखा	पट्टा भूमि
16	सिलागाम	31-15P	0.22	0.14	सूखा	पट्टा भूमि
17	सिलागाम	31-16P	0.06	0.07	सूखा	पट्टा भूमि
18	सिलागाम	31-18P	0.26	0.03	सूखा	पट्टा भूमि
19	सिलागाम	31-17	0.17	0.17	सूखा	पट्टा भूमि
20	सिलागाम	31-20P	0.13	0.06	सूखा	पट्टा भूमि
21	सिलागाम	32-9P	0.15	0.13	गीला	पट्टा भूमि
22	सिलागाम	32-2P	0.2	0.08	गीला	पट्टा भूमि
23	सिलागाम	32-8	0.07	0.07	गीला	पट्टा भूमि
24	सिलागाम	32-7P	0.15	0.11	गीला	पट्टा भूमि
25	सिलागाम	32-6P	0.15	0.03	गीला	पट्टा भूमि
26	सिलागाम	32-10P	0.05	0.01	गीला	पट्टा भूमि
27	सिलागाम	32-18P	0.15	0.12	गीला	पट्टा भूमि
28	सिलागाम	32-18P	0.15	0.15	गीला	पट्टा भूमि
29	सिलागाम	32-20P	0.19	0.11	गीला	पट्टा भूमि
30	सिलागाम	33-7P	0.08	0.05	गीला	पट्टा भूमि
31	सिलागाम	33-3P	0.14	0.05	गीला	पट्टा भूमि
32	सिलागाम	33-59	0.12	0.01	गीला	पट्टा भूमि
33	सिलागाम	33-1P	0.13	0.11	गीला	पट्टा भूमि
34	सिलागाम	33-2P	0.38	0.31	गीला	पट्टा भूमि
35	सिलागाम	35P	0.74	0.36	सरकारी	रास्ता
36	सिलागाम	36-3P	1.3	0.2	सरकारी	चेरुवु
37	सिलागाम	45-8P	0.07	0.06	सूखा	पट्टा भूमि
38	सिलागाम	45-1P	0.34	0.39	सूखा	पट्टा भूमि
39	सिलागाम	45-9BP	0.71	0.12	सरकारी	एनएच रोड
40	सिलागाम	45-16P	0.1	0.05	सूखा	पट्टा भूमि
41	सिलागाम	46-2P	0.11	0.09	सरकारी	रास्ता
42	सिलागाम	46-1P	0.29	0.29	सरकारी	रास्ता
43	सिलागाम	46-3P	0.06	0.05	सरकारी	रास्ता
44	सिलागाम	47P	0.42	0.11	सरकारी	रास्ता
45	सिलागाम	48-1P	0.21	0.07	सूखा	पट्टा भूमि
46	सिलागाम	48-2P	0.23	0.2	सूखा	पट्टा भूमि

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वे/उप-विभाजन संख्या	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल	भूमि का वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
47	सिलागाम	48-3P	0.5	0.45	सूखा	पट्टा भूमि
48	सिलागाम	48-4P	0.24	0.07	सूखा	पट्टा भूमि
49	सिलागाम	48-10P	0.12	0.12	सूखा	पट्टा भूमि
50	सिलागाम	48-5P	0.24	0.16	सूखा	पट्टा भूमि
51	सिलागाम	48-8P	0.29	0.05	सूखा	पट्टा भूमि
52	सिलागाम	48-6P	0.31	0.31	सूखा	पट्टा भूमि
53	सिलागाम	48-7P	0.44	0.02	सूखा	पट्टा भूमि
54	सिलागाम	50P	1.89	0.42	सरकारी	रेल रोड
55	सिलागाम	51-15P	0.09	0.06	सरकारी	रास्ता
56	सिलागाम	51-16P	0.18	0.02	गीला	पट्टा भूमि
57	सिलागाम	52-10P	0.26	0.22	सरकारी	रास्ता
58	सिलागाम	52-18P	0.19	0.03	गीला	पट्टा भूमि
59	सिलागाम	52-12P	0.1	0.01	गीला	पट्टा भूमि
60	सिलागाम	52-11P	0.12	0.01	गीला	पट्टा भूमि
61	सिलागाम	52-19AP	2.87	0.02	गीला	पट्टा भूमि
62	सिलागाम	52-19BP	0.79	0.03	सरकारी	एनएच रोड
			कुल	7.83		

अमूर्त

क्रम संख्या	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सरकारी ज़मीन (एकड़ में)	निजी ज़मीन (एकड़ में)			अधिग्रहित कुल भूमि (एकड़ में)
				गीला	सूखा	मानवारी	
1	कविति	सिलागाम	2.59	2.26	2.98	0.00	7.83

[फा. सं. SCoR/CAO/CON/RSP/VSKP/ML-336/ROB/20A]

चौ.विजयकुमार, उप मुख्य अभियंता/निर्माण/

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Coast Railway)****(ROAD SAFETY PROJECTS)****NOTIFICATION**

Visakhapatnam, the 15th September, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-1989

S.O. 5084(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (herein after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned **LC No 336** at Km 636/5-7 between Ichhapuram (IPM) – Jadupudi (JPI) Stations on the Howrah – Visakhapatnam Main Line of Visakhapatnam Division (Erstwhile Khurda Road Division)” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority for Land Acquisition (CALA) i.e. the Revenue Divisional officer (RDO), Palasa for Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned **LC No 336** at Km 636/5-7 between Ichhapuram (IPM) – Jadupudi (JPI) Stations on the Howrah – Visakhapatnam Main Line of Visakhapatnam Division (Erstwhile Khurda Road Division) in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further inquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project namely “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No 336 at Km 636/5-7 between Ichhapuram (IPM) – Jadupudi (JPI) Stations on the Howrah – Visakhapatnam Main Line of Visakhapatnam Division (Erstwhile Khurda Road Division)” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh.

(Annexure-I)**Name of the District & State:** Srikakulam & Andhra Pradesh

S.No	Name of the Village	SY/SD.No	Total Extent	Acquired Extent	Classification of Land	Type of Land
1	Silagam	29-7P	0.54	0.17	WET	Patta Land
2	Silagam	29-5P	0.1	0.1	WET	Patta Land
3	Silagam	29-6P	0.13	0.1	WET	Patta Land
4	Silagam	29-3P	0.08	0.05	WET	Patta Land
5	Silagam	30-2P	4.22	0.64	GOVT	Cheruvu
6	Silagam	31-6P	0.38	0.18	WET	Patta Land
7	Silagam	31-	0.12	0.02	WET	Patta Land
8	Silagam	31-5P	0.03	0.01	DRY	Patta Land
9	Silagam	31-7P	0.42	0.1	DRY	Patta Land
10	Silagam	31-8P	0.7	0.36	DRY	Patta Land
11	Silagam	31-10P	0.23	0.15	WET	Patta Land
12	Silagam	31-9P	0.2	0.07	DRY	Patta Land

S.No	Name of the Village	SY/SD.No	Total Extent	Acquired Extent	Classification of Land	Type of Land
13	Silagam	31-11P	0.09	0.03	WET	Patta Land
14	Silagam	31-12	0.03	0.03	WET	Patta Land
15	Silagam	31-19P	0.24	0.02	DRY	Patta Land
16	Silagam	31-15P	0.22	0.14	DRY	Patta Land
17	Silagam	31-16P	0.06	0.07	DRY	Patta Land
18	Silagam	31-18P	0.26	0.03	DRY	Patta Land
19	Silagam	31-17	0.17	0.17	DRY	Patta Land
20	Silagam	31-20P	0.13	0.06	DRY	Patta Land
21	Silagam	32-9P	0.15	0.13	WET	Patta Land
22	Silagam	32-2P	0.2	0.08	WET	Patta Land
23	Silagam	32-8	0.07	0.07	WET	Patta Land
24	Silagam	32-7P	0.15	0.11	WET	Patta Land
25	Silagam	32-6P	0.15	0.03	WET	Patta Land
26	Silagam	32-10P	0.05	0.01	WET	Patta Land
27	Silagam	32-18P	0.15	0.12	WET	Patta Land
28	Silagam	32-18P	0.15	0.15	WET	Patta Land
29	Silagam	32-20P	0.19	0.11	WET	Patta Land
30	Silagam	33-7P	0.08	0.05	WET	Patta Land
31	Silagam	33-3P	0.14	0.05	WET	Patta Land
32	Silagam	33-59	0.12	0.01	WET	Patta Land
33	Silagam	33-1P	0.13	0.11	WET	Patta Land
34	Silagam	33-2P	0.38	0.31	WET	Patta Land
35	Silagam	35P	0.74	0.36	GOVT	Rasta
36	Silagam	36-3P	1.3	0.2	GOVT	Cheruvu
37	Silagam	45-8P	0.07	0.06	DRY	Patta Land
38	Silagam	45-1P	0.34	0.39	DRY	Patta Land
39	Silagam	45-9BP	0.71	0.12	GOVT	NH ROAD
40	Silagam	45-16P	0.1	0.05	DRY	Patta Land
41	Silagam	46-2P	0.11	0.09	GOVT	Rasta
42	Silagam	46-1P	0.29	0.29	GOVT	Rasta
43	Silagam	46-3P	0.06	0.05	GOVT	Rasta
44	Silagam	47P	0.42	0.11	GOVT	Rasta
45	Silagam	48-1P	0.21	0.07	DRY	Patta Land
46	Silagam	48-2P	0.23	0.2	DRY	Patta Land
47	Silagam	48-3P	0.5	0.45	DRY	Patta Land
48	Silagam	48-4P	0.24	0.07	DRY	Patta Land
49	Silagam	48-10P	0.12	0.12	DRY	Patta Land
50	Silagam	48-5P	0.24	0.16	DRY	Patta Land

S.No	Name of the Village	SY/SD.No	Total Extent	Acquired Extent	Classification of Land	Type of Land
51	Silagam	48-8P	0.29	0.05	DRY	Patta Land
52	Silagam	48-6P	0.31	0.31	DRY	Patta Land
53	Silagam	48-7P	0.44	0.02	DRY	Patta Land
54	Silagam	50P	1.89	0.42	GOVT	Rail Road
55	Silagam	51-15P	0.09	0.06	GOVT	Rasta
56	Silagam	51-16P	0.18	0.02	WET	Patta Land
57	Silagam	52-10P	0.26	0.22	GOVT	Rasta
58	Silagam	52-18P	0.19	0.03	WET	Patta Land
59	Silagam	52-12P	0.1	0.01	WET	Patta Land
60	Silagam	52-11P	0.12	0.01	WET	Patta Land
61	Silagam	52-19AP	2.87	0.02	WET	Patta Land
62	Silagam	52-19BP	0.79	0.03	GOVT	NH ROAD
			Total	7.83		

ABSTRACT

Sl.No	Name of the Mandal	Name of the Village	Govt land (in Ac)	Private land (in Ac)			Total land acquired (in Ac)
				Wet	Dry	Manavari	
1	Kaviti	Silagam	2.59	2.26	2.98	0.00	7.83

[F. No. SCoR/CAO/CON/RSP/VSKP/ML-336/ROB/20A]

CH. VIJAYAKUMAR, Dy. CE/C/I